

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार) (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA) क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

प्लाट क्र 02 **अविष्य निधि अवन**, टाउन सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र, सिडको, औरंगाबाद - 431029 Plot No. 2, Bhavishya Nidhi Bhavan, Town Centre, Commercial Area, CIDCO, Aurangabad - 431 029

क्र. महा/भनि/मासप्र/रखपाल/2018/ । १

दिनांक 30.05.2018

एयर कंडीशनरो के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद में स्थापित 41 स्प्लीट एवं 4 विंडो एयर (1.5 टन एवं 2 टन) कंडीशनरों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जा रहे है। नियम एवं शर्ते इस प्रकार है-

- 1. एजेंसी को दो प्रकार की सेवा प्रदान करनी होगी, अर्थात रखरखाव निवारक प्रणाली और बंद होने पर सुधार संबंधी सेवा।
- 2. रखरखाव निवारक प्रणाली एजेंसी को हर 03 महीने में एक बार मशीन में आवश्यक सुधार करना होगा। इस संबंध में एजेंसी द्वारा एयर कंडीशनरों को लगाये गये स्थान के प्रभारी से आवती ले कर रिकार्ड रखना होगा।
- 3. बंद होने पर सुधार संबंधी सेवा कार्यालय में सुधार हेतु बुलाने पर एजेंसी को 12 घंटो के भीतर उपस्थित होना होगा, ऐसा न किए जाने पर कार्यालय द्वारा र 500 प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूल किया जाएगा। सेवा/सुधार का रिकार्ड एयर कंडीशनरों के स्थापित स्थान के प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा।
- 4. एजेंसी औरंगाबाद आधारित होगी तथा एजेंसी वैध सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या /पेन/टिन या किसी अन्य वैधानिक आवश्यकता को धारण करेगी। एजेंसी को सरकारी संगठन में इस प्रकार के काम का अनुभव होगा और एजेंसी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर विवरण को प्रस्तुत करेगी एंव वर्तमान ग्राहकों की सूची संलग्न करेगा।
- 5. एजेंसी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करेगी और उप ठेकेदारो को नियुक्त नहीं करेगी।
- 6. टीडीएस जैसे लागू कर की कटौती कार्यालय स्त्रोत द्वारा की जाएगी।
- एजेंसी गैर व्यापक अनुबंध के लिए दरों को बतलाएगी अन्य प्रकार के शुल्क जैसे- गैस भरना, सुधार करना, हिंस्सों को बदलना आदि के शुल्क को अलग से उल्लेखित किया जाएगा।
- 8. एजेंसी को अनुबंध के अंत / समाप्ति पर एयर कंडीशन इकाई को चालू हालत में सौंपना होगा। ऐसा न करने पर अंतिम तिमाही के लिए देय भुगतान से वसूल किया जाएगा।
- 9. भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंत में एजेंसी द्वारा संतोषजनक सेवा करने पर किया जाएगा।
- 10. यह कार्यालय एजेंसी द्वारा खराब प्रदर्शन के मामले में EMD की राशि को अर्थदंड के रूप में समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

- 11. एजेंसी 01.06.2018 से 22.06.2018 के दौरान अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कार्य दिवसों में एयर कंडीशनरों का निरीक्ष्मण कर सकती है।
- 12. एयर कंडीशनर इकाईयो की संख्या एवं निर्माता का विवरण, परिशिष्ट -"ए" में संलग्न है।
- 13. एजेंसी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पक्ष में औरंगबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रूपये 20,000/-की ईएमडी प्रस्तृत करेगी। असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी को लौटा दिया जाएगा।
- 14. अनुबंध ठेका देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

नियम एंव शर्तों के साथ एक मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) औरंगाबाद के नाम से संबोधित कर 25.06.2018 के पहले दोपहर 03:00 बजे तक या उससे पहले जमा करें। कोटेशन के उपर "एयर कंडीशनर के गैर व्यापक एएमसी के लिए कोटेशन" लिखा जाए। कोटेशन को दि. 26.06.2018 को 04:00 बजे संबंधित बोली लगाने वालों की उपस्थित (यदि कोई हो) में खोला जाएगा। यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए निविदा को अस्वीकार या उसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।


ह वि हु के हिंदि के किया विवेकरमन रेड्डी आर.) सहायक भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद

परिशिष्ट "ए"

क्र	विवरण	मात्रा	मेक/ब्राण्ड
1	स्प्लीट ए.सी. 1.5 टन	13	पेनासोनिक
2	स्प्लीट ए.सी. 2 टन	28	पेनासोनिक
3	विन्डो ए.सी. 1.5 टन	03	वोल्टास
4	विन्डो ए.सी. 1.5 टन	01	विडीयोकॉन

इमल/E-Mail: sro.aurangabad@epfindia.gov.in फक्स /Fax : 0240-2483199 दूरभाष/Ph : 0240-2476971 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION



(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA) क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

प्लाट क्र 02 भविष्य निधि भवन, टाउन सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र, सिडको, औरंगाबाद - 431029

Plot No. 2, Bhavishya Nidhi Bhavan, Town Centre, Commercial Area, CIDCO, Aurangabad – 431 029

No. MH/PF/CT/HRM/2018/ 19

Date:-30/05/2018

INVITATION OF BIDS FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT OF AIR CONDITIONER

Sealed Bids are invited from reputed agencies for Annual maintenance contract of the 41 Split & 4 Window Air Conditioners (1.5 Ton & 2 Ton) installed in Employees Provident Fund Organisation, Regional Office, Aurangabad on terms and conditions are as under:-

- The Agency will have to provide two types of services i.e. Preventive 1) Maintenance System and Break down Service.
- 2) Preventive Maintenance System: - The agency will have to service the machine once every 03 months. A record in this regard duly acknowledged by the person in charge of the locations of the air conditioners shall be maintained by the agency.
- Breakdown Service: The Agency will have to attend the breakdown call 3) from the office within 12 hours, failing which a penalty of Rs.500/-per day shall be levied by the office. A record of the service/repairs shall be submitted to the person in charge of the location of the air conditioners.
 - 4) The Agency shall be based at Aurangabad and the agency shall hold valid Service Tax Registration No/GST/PAN/TIN/ or any other statutory requirement. The Agency shall have an experience of performing similar type of work in any other Government Organization and shall submit the Income Tax returns for last three financial years and list of clients with him at present.
- The Agency shall provide direct service and shall not employ sub-5) contractors.
- The Applicable Taxes such as TDS will be deducted at source by the office. 6)
- 7) The Agency shall have to quote the rates for Non Comprehensive contract. Any other charges such as refilling of Gas, repairing, replacements of parts etc. shall be separately quoted in the quotation.
- The Agency shall have to hand over the Air conditioning Units in working 8) condition at the end/termination of the contract failing which the same shall be recovered from the payment due for the last quarter.

- 9) The payment will be made on rendering of satisfactory service by the agency at the end of each quarter.
- 10) This Office reserves the right to forfeit the EMD in case of non performance by the agency and the decision of the Regional P.F. Commissioner in this regard will be final.
- 11) The Agency can inspect the Air Conditioning Units on any working day from 01/06/2018 to 22/06/2018 between 03 pm and 05 pm.
- 12) The Quantity and make of the air conditioning Units are enclosed in Annexure-A
- 13) The Agency shall submit an EMD of Rs.20, 000/- through Demand Draft in favour of The Regional P.F. Commissioner-I payable at Aurangabad. The EMD of the unsuccessful bidder will be returned.
- 14) The Contract will be for a period of one year from the date of award.

Quotations with the terms and conditions in a sealed cover addressed to the Assistant P.F. Commissioner, Aurangabad should be submitted on or before 3.00 pm of 25/06/2018. The quotations may be super scribed as "QUOTATIONS FOR NON COMPREHENSIVE AMC OF AIRCONDITIONERS." The Quotations will be opened on 26/06/2018 at 4.00 p.m. in presence of the respective bidders (if present). This office reserves the right to reject or cancel the bid without assigning any reasons thereof and the decision of the Regional P.F. Commissioner-I in this regard shall be final.

(VIVEK RAMAN REDDY R)
ASSISTANT P.F. COMMISSIONER (HRM)
REGIONAL OFFICE AURANGABAD

ANNEXURE-A

Sr.	Description Quantity/Number		Make/Brand
No.			
01	Spilt AC 1.5 TN	13	Panasonic
02	Spilt AC 2 TN	28	Panasonic
03	Window AC 1.5 TN	03	Voltas
04	Window AC 1.5 TN	01	Videocon